



कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)



अरण्य भवन, रागपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946-220003 ई.मेल : cfwkum-forest-uk@nic.in.

पत्रांक- 86 / 12-1

हल्द्वानी, दिनांक, जुलाई, 15,

2022.

सोया में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फौरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:-

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 310/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास से हल्दूचौड इण्डियन आयल डीपो तक मार्ग के निर्माण हेतु 12.33 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

संदर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून,
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001 का पत्रांक-8वी/यू0सी0पी0/06/105/2020/एफ0सी0/
626 दि0-02.08.2021।

महोदय,



उपरोक्त विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून द्वारा आपत्ति लगाई गयी, जिसके क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी द्वारा आपत्ति का निराकरण कर अपनी पत्र संख्या 216/12-1 दिनांक 11.07.2022 (छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से आख्या इस कार्यालय में प्रेषित की गई, जो कि निम्न प्रकार है:-

क.सं.	आपत्ति	अनुपालन आख्या
1	The DFO has mentioned that the area proposed for diversion is 'prone to erosion' therefore; the State Government will provide the structures and detailed budgetary provisions in the project to mitigate the erosion in the area.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मार्ग में होने वाले 'prone to erosion'के बचाव हेतु आवश्यकतानुसार प्रस्तावित डी0पी0आर0 में Structures and Budgetary provisions कर लिया जायेगा।
2	The State Government may submit the enumeration list of tree counted in the 7 meter width of the proposed alignment.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में पूर्व में प्रस्तावित 09 मीटर के स्थान पर वर्तमान में 07 मीटर चौड़ाई के अन्तर्गत ही पेड़ों की गणना की गयी है, जिस कारण प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 446 है। 09 मीटर के स्थान पर 07 मीटर चौड़ाई में वृक्षों की गणना करने पर 80 वृक्षों की संख्या कम हो गयी है। सूची प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।



क्र.सं.	आपत्ति	अनुपालन आख्या
3	The widening work of NH-84 is going on at present which should solve the problem of traffic congestion on this route. In such a situation, proposing a bypass after felling 562 trees does not seem to be justified. A proper technical justification of the proposed bypass road is required to be provided with facts.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मार्ग घनी आबादी एवं कृषि बाहुल्य क्षेत्र के समीप से गुजरता है, जिसे स्थानीय जनता/कृषकों एवं स्कूली बच्चों द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार विगत 40 वर्षों से कच्चे मार्ग के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। स्थानीय कृषकों एवं स्कूली बच्चों द्वारा (एन0एच-87) का उपयोग में लाया जाना सम्भव नहीं है, क्योंकि स्कूली छात्रों के बस से उतरने एवं चढ़ने हेतु थोड़े-थोड़े अन्तराल में बसों को रूकना होता है, जो सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त क्षेत्र गौला नदी के समीप स्थित है तथा क्षेत्र में थोड़े-थोड़े अन्तराल में स्टोन क्रशर भी हैं। इस क्षेत्र से खनिज उपज लाने एवं ले जाने हेतु प्रतिदिन लगभग 500 से 700 वाहनों का आवागमन होता है। उक्त के दृष्टिगत प्रस्तावित मार्ग आवश्यक है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से राजमार्ग में प्रवेश करने व निकास करने वाले वाहनों की संख्या में भारी कमी आयेगी, जिससे Road Safety बढ़ेगी।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी की आख्या मय संलग्नकों के सादर सेवा में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
संलग्न- उपरोक्तानुसार।

पत्रांक 06 / उक्तदिनांकित।

भवदीय,

(दीप चन्द्र आर्य)
वन संरक्षक
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।


प्रतिलिपि-प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी को उनके पत्रांक-216/12-1 दिनांक 11.07.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(दीप चन्द्र आर्य)
वन संरक्षक
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।


0/c



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तथा डीपीवी वन प्रधान, हल्द्वानी

रीसमवाग वन परिसर, जेल रोड, हीरागगर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल
E-mail : dfotea@rediffmail.com, Phone: 05946-254309, Fax: 05946-250298

पत्रांक

216 / 12-1

हल्द्वानी, दिनांक

11/07/2021

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषय:-

मा0 मुख्यमंत्री ^{क्षेत्र}संख्या 310/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास से हल्दूचौड इण्डियन आयल डीपो तक मार्ग के निर्माण हेतु 12.33 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण। (Online No. FP/UK/ROAD/29571/2017)

संदर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून, 25 सुभाष रोड, देहरादून-248001 का पत्रांक-8बी/यू0सी0पी0/06/105/2020/एफ0सी0/626 दि0-02.08.2021 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-1406/12-1 दि0-08.09.2021 एवं पत्रांक-1474/12-1 दि0-18.09.2021 एवं पत्रांक-1490/12-1 दि0-18.09.2021 तथा पत्रांक-4579/12-1 दि0-07.05.2022।

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गई आपत्तियों का निराकरण अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी के पत्रांक-1486/4C दि0-20.06.2022 (संलग्न) के द्वारा बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की गई है :-

क.सं.	EDS	आपत्ति का निराकरण/आख्या
1	The DFO has mentioned that the area proposed for diversion is 'prone to erosion' therefore; the State Government will provide the structures and detailed budgetary provisions in the project to mitigate the erosion in the area.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपरोक्त पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मार्ग में होने वाले 'prone to erosion'के बचाव हेतु आवश्यकतानुसार प्रस्तावित डी0पी0आर0 में Structures and Budgetary provisions कर लिया जायेगा।
2	The State Government may submit the enumeration list of tree counted in the 7 meter width of the proposed alignment.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में पूर्व में प्रस्तावित 09 मीटर के स्थान पर वर्तमान में 07 मीटर चौड़ाई के अन्तर्गत ही पेड़ों की गणना की गयी है, जिस कारण प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 446 है। 09 मीटर के स्थान पर 07 मीटर चौड़ाई में वृक्षों की गणना करने पर 80 वृक्षों की संख्या कम हो गयी है (सूची संलग्न)।
3	The widening work of NH-84 is going on at present which should solve the problem of traffic congestion on this route. In such a situation, proposing a bypass after felling 562 trees does not seem to be justified. A proper technical justification of the proposed bypass road is required to be provided with facts.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मार्ग घनी आबादी एवं कृषि बाहुल्य क्षेत्र के समीप से गुजरता है, जिसे स्थानीय जनता/कृषकों एवं स्कूली बच्चों द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार विगत 40 वर्षों से कच्चे मार्ग के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। स्थानीय कृषकों एवं स्कूली बच्चों द्वारा (एन0एच-87) का उपयोग में लाया जाना सम्भव नहीं है, क्योंकि स्कूली छात्रों के बस से उतरने एवं चढ़ने हेतु थोड़े-थोड़े अन्तराल में बसों को रुकना होता है.

	<p>जो सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त क्षेत्र गौला नदी के समीप स्थित है तथा क्षेत्र में थोड़े-थोड़े अन्तराल में स्टोन क्रशर भी हैं। इस क्षेत्र से खनिज उपज लाने एवं ले जाने हेतु प्रतिदिन लगभग 500 से 700 वाहनों का आवागमन होता है। उक्त के दृष्टिगत प्रस्तावित मार्ग आवश्यक है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से राजमार्ग में प्रवेश करने व निकास करने वाले वाहनों की संख्या में भारी कमी आयेगी, जिससे Road Safety बढ़ेगी।</p>
--	--

अतः उपरोक्तानुसार बिन्दुवार आख्या एवं संलग्नक सहित इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(संदीप कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

पत्रांक—216 /12-1/ उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संदीप कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

पत्रांक—216 /12-1/ उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि— अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी को उनके पत्रांक—1486/4C दि0-20.06.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संदीप कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

20/6/2022



अधिशायी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल)

Office of The Executive Engineer, C.D.P.W.D, Haldwani

(Phone/Fax) : 05946-223352 E-Mail- ee_ndhal@rediffmail.com

पत्रांक 1408 / 4C

दिनांक 20.06/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग,
हल्द्वानी।

विषय :- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 310/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विधानसभा क्षेत्र लालकुआं के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्द्वौड इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग के निर्माण हेतु 12.33 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण (Online No FP/UK/ROAD/29571/2017)।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 4779/29-3(3), दिनांक 07.05.2022
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में आर0ई0सी0 की बैठक दिनांक 21.09.2022 को जारी किये गये

Minutes का निम्नानुसार बिन्दुसार उत्तर प्रेषित किया जा रहा है :-

1	The DFO has mentioned that the area proposed for diversion is 'prone to erosion' therefore, the state Government will provide the structures and detailed budgetary provisions in the project to mitigate the erosion in the area.	प्रस्तावित मार्ग में होने वाले 'Prone to erosion' के बचाव हेतु आवश्यकतानुसार प्रस्तावित डी0पी0आर0 में Structures एवं Budgetary provisions कर लिया जायेगा।
2	The State Government may submit the enumeration list of tree counted in the 7 meter width of the proposed alignment.	भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन मे पूर्व में प्रस्तावित 9 मीटर के स्थान पर वर्तमान में 7 मीटर चौड़ाई के अन्तर्गत ही पेड़ों की गणना की गयी है। जिस कारण प्रभावित होने वाले वृक्षों की सं0 446 है। 9 मीटर के स्थान पर 7 मीटर चौड़ाई में वृक्षों की गणना करने पर 80 वृक्षों की संख्या कम हो गयी है (सूची संलग्न)।
3	The Widening work of NH-84 is going on at preset which should solve the problem of traffic congestion on this route. In such a situation, proposing a bypass after felling 562 trees does not seem to be justified. A proper technical justification of the proposed bypass road is required to be provided with facts.	प्रस्तावित मार्ग घनी आबादी एवं कृषि बाहुल्य क्षेत्र के समीप से गुजरता है, जिसे स्थानीय जनता/कृषकों एवं स्कूली बच्चों द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार विगत 40 वर्षों से कच्चे मार्ग के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। स्थानीय कृषकों एवं स्कूली बच्चों द्वारा (एन0एच0-87) का उपयोग में लाया जाना सम्भव नहीं है। क्योंकि स्कूली छात्रों को बस से उतरने एवं चढ़ने हेतु थोड़े-थोड़े अन्तराल में बसों को रुकना होता है, जो सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से राजमार्ग में व्यवहारिक नहीं होगा तथा कृषकों द्वारा अपनी कृषि उपज मण्डी में लाने हेतु बैलगाड़ी/घोडा बुग्गी/रिक्शा आदि का उपयोग किया जाता है। उक्त वाहनों द्वारा राजमार्ग से कृषि उपज लेकर जाना सुरक्षा की दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त क्षेत्र गौला नदी के समीप स्थित है तथा क्षेत्र में थोड़े-थोड़े अन्तराल में स्टोनक्रे शर भी है। इस क्षेत्र से खनिज उपज लाने एवं ले जाने हेतु प्रतिदिन लगभग 500 से 700 वाहनों का आवागमन होता है। उक्त के दृष्टिगत प्रस्तावित मार्ग आवश्यक है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से राजमार्ग में प्रवेश करने व निकास करने वाले वाहनों की संख्या में भारी कमी आयेगी, जिससे Road Safety बढ़ेगी।

कार्यालय तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.
प्र.दि. सं. 10913
पत्रा. सं. 127
दिनांक. 20/06/2022

J/m
20/6/22

अतः प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

20/6/22

(अशोक कुमार)
अधिशायी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, हल्द्वानी

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा सं0 310/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुआ के अर्थात् हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्द्वौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग निर्माण हेतु 12.33 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण (On line No FP/UK/ROAD/2951/2017) ।

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय श्रेणीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/105/2020 /एफ0सी0/626, दिनांक 02.08.2021 के द्वारा बिन्दु सं0 3 में परियोजना स्थल पर वर्तमान में स्थित प्रमाहित होने वाले वृक्षों की गणना 7 मीटर में किये जाने के सम्बन्धी अनुपालन आख्या :-


वृक्षों की सूची (प्रवाहित होने वाले)


क्र0 सं0	वृक्ष की प्रजाति	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70 से ऊपर	योग
1	कन्जू	09	09	12	23	08	02	02	04	69
2	नीम		05	09	07					21
3	सागौन	08	06	26	26	02		01		69
4	कचनार			01						1
5	पेपर मलवरी		07	10	09	01	01		01	29
6	सेमल			01	09	06	16		15	47
7	बकैन			04						4
8	कटहल			01	01					2
9	शीशम	15	15	32	25	03	03		01	94
10	आम		05	06						11
11	शहतूत		03		02					5
12	जामुन			01						1
13	बेर			01						1
14	हल्दू				02		03		02	7
15	बेल		11							11
16	खैर	01		03						4
17	अमलतास	03			01					4
18	कोकाट	25	05		04	01				35
19	धौड़ी			01						1
20	तिमल			01						1
	योग	61	66	109	109	21	25	3	23	417


क्रमशः पेज--:

क्र. सं.	वृक्ष की प्रजाति	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45 से ऊपर	योग
1	यूकेलिप्टस	12	09	0	0	0	0	02	0	02	04	29
	योग	12	09	0	0	0	0	02	0	02	04	29

महायोग 417 + 29 = 446


प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.


उप प्रभागीय वनाधिकारी
(गौला)
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी


वन क्षेत्राधिकारी
गौला वन क्षेत्र
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी